

विचार बिन्दु

घृणा और प्रेम दोनों अंधे होते हैं। –कहावत

न्यायपालिका में डगमगाता विश्वास

गत कुछ समय से भारत की न्यायपालिका बहुत चर्चा में है, किंतु यह चर्चा सही कारणों से नहीं अपितु गलत कारणों से है। देश में जब भी कोई विवाद नहीं सुलझता है तो लोगों को यह कहते हुए देखा जाता है कि-“अदालत में देख लूंगा। लोगों को यह विश्वास रहता है कि जब और कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है तो न्यायालय से मिल ही जाएगा। यह भी कहा जाता है कि न्यायालय के लिए सभी समान हैं, कोई छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, शक्तिशाली हो या कमजोर।

गत दिनों में जिस प्रकार के निर्णय विभिन्न स्तर के न्यायालयों से आए हैं, उसने इस विश्वास को हिला कर रख दिया है। यह बात भी अब गलत लगती है कि कानून सबके लिए एक समान लागू होता है। जो ताकतवर, अमीर या प्रभावशाली हैं, वे येन-केन-प्रकरणे न्यायालय की सहायता से अपने पक्ष में निर्णय करवाने में सफल हो ही जाते हैं। कार्यपालिका और विधायिका तो वैसे भी सामान्यतः समर्थ और सक्षम लोगों के पक्ष में खड़ी दिखाई देती हैं। एक न्यायपालिका ही थी, जिससे न्याय की अपेक्षा सामान्य नागरिक को रहती थी, किंतु अब वह भी कम होती दिखाई दे रही है। कानून का लाभ वे ही ले पाते हैं जो पैरवी के लिए महंगे वकील कर सकते हैं। साधारण नागरिक के लिए न्यायालयों में महंगे वकीलों का खर्चा वहन करना संभव ही नहीं है।

हम इस लेख में ऐसे ही कुछ फैसलों का जिक्र करेंगे जिनसे न्यायालय की प्रतिष्ठा पर आघात लगा है।

सर्वाधिक चर्चित मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव के तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का है। सेंगर को न्यायालय द्वारा नाबालिग लड़की के बलात्कार का दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपील में इस सजा को निलंबित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर को 2०19 में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। यह सजा पौक्सो कानून के अंतर्गत दोषी सिद्ध होने के बाद दी गई थी। कुलदीप सिंह सेंगर ने एक 17 वर्षीय नाबालिगा बालिका को नौकरी देने का लालच देकर न केवल उसका बलात्कार किया अपितु उसका विरोध करने पर अपने साथियों से उसका गैंगरेप भी करवाया। यूपी पुलिस ने एफ् आर आर में कुलदीप सिंह सेंगर का नाम लिखने से इनकार किया तो इस बालिका ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास के समक्ष आत्मदाह का प्रयास तक किया।

इसके पिता को थाने में बंद कर उसकी इतनी पिटाई की गई कि उसकी मौत हो ही गई। तब पीडिता ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा कि उसके प्रकरण को उत्तर प्रदेश के बाहर किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाय और जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। सीबीआई ने जांच करने के बाद सेंगर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की और जांच के बाद सेंगर को बलात्कार का दोषी माना। जब पीडिता सड़क मार्ग द्वारा दिल्ली जा रही थी तो उसकी दुर्घटना कर दी गई जिसमें उसकी दो मौसियों की मृत्यु हो गई और वह स्वयं भी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका इलाज एम्स में चला। यह तो पीडिता की हिम्मत ही थी कि वह अपने बयान पर अड़ी रही और लगातार संघर्ष करती रही। मीडिया के समर्थन और उसके संघर्ष का ही परिणाम था कि 2०19 में कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा हुई। इसकी अपील दिल्ली उच्च न्यायालय में की गई। पीडिता के पति को अभी भी कई प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। आक्षर्यजनक रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंगर की सजा इस आधार पर निलंबित कर दी कि वह 7 वर्ष से अधिक जेल में रह चुका है और वह लोक सेवक नहीं था, इसलिए उसे ‘प्रोबेटेड ऑफिस’ के लिए निर्धारित 20 वर्ष की सजा नहीं दी जा सकती। यह उल्लेखनीय है कि पौक्सो कानून के अंतर्गत लोक सेवक अथवा किसी “पर्सन ऑफ ट्रस्ट एंड ऑथोरिटी” द्वारा अपराध किए जाने पर सजा 7 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष की होती है। सेंगर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने न प्रभावशाली व्यक्ति माना और न लोक सेवक। यह कितना विचित्र है कि विधायक पर दया करते हुए उसकी सजा दिल्ली उच्च न्यायालय ने निलंबित कर दी। स्पष्ट है, न्यायालय को सेंगर जैसे बलात्कारी और हत्याएं व्यक्ति को राहत देना अधिक उचित लगा बजाय पीडिता को न्याय देने के।

दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की सर्वत्र आलोचना हो रही है और इसे न्याय के विरुद्ध माना जा रहा है। पहले तो सीबीआई ने इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात नहीं कही, किंतु जैसे ही पीडिता एवं उसकी मां से राहुल गांधी मिले एवं उन आक्रोश बढ़ता गया तो फिर सीबीआई ने रातों-रात इसकी अपील उच्चतम न्यायालय में दाखिल कर दी। अब यह देखना है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बदलता है अथवा नहीं। पीडिता ने तो यहां तक कहा है कि यदि सेंगर को जेल से बाहर रखा जाता है तो उसे सुरक्षा की दृष्टि से जेल भेज दिया जाए। लगभग सभी पूर्व न्यायाधीशों और न्यायविदों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के इस फैसले को कानून का मखौल बताया है। उनके अनुसार पौक्सो एक्ट के अंतर्गत जिस कड़ी सजा का प्रावधान किसी “पर्सन ऑफ् अथॉरिटी एंड ट्रस्ट” के लिए किया गया था, वह सेंगर पर पूरी तरह लागू होता है, अतः उसे “प्रोबेटेड ऑफिस” की सजा ही मिलनी चाहिए।

जब पीडिता, उसकी मां एवं उनकी महिला वकील उच्च न्यायालय के इस फैसले के विरुद्ध दिल्ली के इंडिया गेट पर डंड में प्रदर्शन करने हेतु बैठे, तो उन्हें वहां से पुलिस द्वारा जबरन घसीट कर हटा दिया गया। प्रधानमंत्री के नारे “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” का क्या हश्र कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर कर रहे हैं, यह इस उदाहरण से स्पष्ट होता है। कहा तो यह जा रहा है कि कि प्रधानमंत्री के ‘बेटी बचाओ’ नारे का मतलब ही यह है कि बेटियों को नेताओं से बचा कर रखा जाए।

गत कुछ निर्णयों से तो ऐसा संदेश न्यायपालिका से जा रहा है कि यदि अपराधी प्रभावशाली और ताकतवर हैं तो कानून उसे बच निकलने के कई रास्ते प्रदान करता है और ऐसा करने में न्यायपालिका भी सहायता करती हैं। इससे पहले कि यह डगमगाता विश्वास बिल्कुल समाप्त हो जाए, न्यायपालिका को स्वयं आत्मावलीकन कर सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए ताकि वह संविधान सम्मत जनाकांक्षा के अनुरूप काम कर सके।

एक ओर, जहां सेंगर जैसे बलात्कारी को जमानत देने का आदेश हुआ है वहीं दूसरी ओर सोनम वांगचुक जैसे पर्यावरण विद् और सामाजिक कार्यकर्ता को महोनों के बाद भी बिना किसी ट्रायल के और बिना किसी सजा के जमानत नहीं मिली है । इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद को 5 वर्ष से अधिक जेल में हो चुके हैं किंतु अभी तक ट्रायल भी प्रारंभ नहीं हुई। पहली बार उसको बहन की शादी में भाग लेने हेतु 15 दिन की जमानत मिली है। इसके विपरीत, राम रहीम, जो हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है उसे अब तक 14 बार पैरोल मिल चुकी है। यह केवल संयोग नहीं है कि जब-जब भी हरियाणा में कोई चुनाव होते है इसे पैरोल मिल जाती है। इसी प्रकार बलात्कारी आसाराम भी आकलन 6

महीने के लिए जेल से बाहर है। यह विडंबना ही है कि सत्ताधारी दल, अपने राजनीतिक लाभ के लिए राम रहीम जैसे बलात्कारी और हत्यारे का उपयोग करने से भी नहीं चूकता। जब दोष सिद्ध बलात्कारियों और हत्यारों को न्यायालय द्वारा जमानत दी जा रही है तो फिर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक एवं शोध छात्र खालिद को बिना ट्रायल के जमानत न होना, न्यायालयों के एक पक्षीय व्यवहार का प्रमाण प्रस्तुत करता है।

रिश्तत के मामले में किसी भी कर्मचारी को पकड़े जाने पर उसे गिरफ्तार किया जाता है और उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है, किंतु दिल्ली उच्च न्यायालय के ही न्यायाधीश वर्मा के घर से जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बावजूद अब तक उनके विरुद्ध कुछ कार्रवाई नहीं हुई है । प्रयास यही है कि जैसे-तैसे उन्हें बचाया जाए। ऐसा करके न्यायपालिका ने अपनी प्रतिष्ठा में कोई वृद्धि नहीं की है।

19 मई, 2024 को पुणे में एक 17 वर्षीय रईस जादे ने शराब के नशे में बिना लाइसेंस के तेज गति से महंगी पोशे गाड़ी चलाकर आईटी क्षेत्र में कार्मरन दो युवाओं को मार डाला था। वे मोटर साइकिल पर थे। न्यायालय ने उसे नाबालिग मानकर सुधार गृह भेज दिया और उसे सड़क सुरक्षा पर एक लेख लिखने के लिए कहा। जिन अमीर परिवार के व्यक्ति ने तेज गति से गाड़ी चलाकर दो युवाओं को मौत के घाट उतार दिया, उसके प्रति इस प्रकार की उदारता न्यायालय की मंशा पर संदेह उत्पन्न करता है ।

दिनांक 23 नवंबर, 2025 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को अगर गवर्ई को खंडपीठ ने अरावली पर्वत श्रृंखला के संबंध में जो निर्णय दिया, उसने पूरी अरावली पर्वतमाला को ही संकट में डाल दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में 1०0 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली का भाग मानने से ही इनकार कर दिया । यह फैसला तब दिया गया जबकि इसी प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के ‘एनिसचम क्यूरी’ का स्पष्ट मत इसके विरुद्ध था। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से अरावली पर्वत श्रृंखला को सुरक्षा का जो कवच उपलब्ध था, वह हटा लिया गया है । इस फैसले के विरुद्ध तीव्र वन आंदोलन प्रारंभ हो गया है और संभवतया इसी को देखते हुए ही सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर से समीक्षा हेतु सुप्रेरित संज्ञान अपने स्तर पर ले लिया है। यह उल्लेखनीय है की न्यायमूर्ति गवई ने यह आदेश अपनी सेमीनॉवृत्ति से केवल 3 दिन पूर्व ही दिया था। यदि 1०0 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही सुरक्षा दी जाएगी तो क्या पहाड़ियों के बीच वाली जो 1०0 मीटर से कम की पहाड़ियां हैं, उनको नष्ट करने की अनुमति सरकार द्वारा दे दी जाएगी? ऐसा करके न्यायालय ने रियल एस्टेट बिल्डर और खनन माफिया को हजारों करोड़ कमानी की छूट प्रदान कर दी है। स्पष्ट है, इस प्रकार का निर्णय न्याय के आधार पर तो नहीं ही दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से पूरे देश में बवाल हो गया है और सभी पर्यावरण विद् इसके विरोध में आंदोलन तेज कर रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का 9० प्रतिशत भाग राजस्थान के 11 जिलों में स्थित है एवं शेष में से कुछ गुजरात में और कुछ हरियाणा में है। कहा जाता है कि हरियाणा के एक जिले में ही इस प्रकार की छूट से बिल्डरों को लगभग 4०0०0 करोड़ का लाभ होना अनुमानित है। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि निर्णय देते समय क्या माननीय न्यायाधीशों के मन में यह विचार नहीं आया कि उनके निर्णय से पर्यावरण का कितना नुकसान हो जाएगा? लाखों-करोड़ों वर्ष में पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है और अरावली जैसी पर्वत श्रृंखला राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं । उनको नष्ट करने का परता साफ करना लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ही कहा जाएगा। न्यायपालिका का उरतरदायित्व केवल और केवल संविधान के प्रति है, किंतु शायद वह भी सरकार को नाराज नहीं करना चाहती है। इसलिए वे कई बार कार्यपालिका के पक्ष में निर्णय देते हुए दिखाई देते हैं। न्याय, न केवल होना चाहिए अपितु दिखाई भी देना चाहिए, ऐसा कई बार कहा जाता है, किंतु आजकल न्याय हो ही कम रहा है, इसलिए दिखाई देने का तो प्रश्न ही नहीं है। जब कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों आम जन के हित के विरुद्ध काम करना प्रारंभ कर दें तो लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता प्राप्त आम जन, अपने संविधान सम्मत अधिकारों की रक्षा के लिए कहां जाएगा? समय आ गया है जब न्यायपालिका को अपने स्वयं के भीतर झांक कर देखना होगा कि उसकी छवि नागरिकों में किस प्रकार से गिरती जा रही है? समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठता तो फिर इस गिरती साख को बचाना बहुत कठिन हो जाएगा । न्यायपालिका में सुधार का कार्य जितने प्रभावी तरीके से न्यायपालिका स्वयं कर सकती है उतना शायद दूसरे अंग नहीं कर पाएंगे। यदि न्यायपालिका खुद अपने सुधार नहीं करेगी तो फिर वह एक प्रकार से कार्यपालिका और विधायिका को अपने क्षेत्राधिकार में दखल देने के लिए आमंत्रण देने जैसा होगा।

जब जनता का विश्वास न्यायपालिका में कम होगा तो जनता भी फिर उनके साथ खड़ी होने से कतराएंगी। ऐसी स्थिति न न्यायपालिका के लिए अच्छी होगी और न देश में लोकतंत्र के भविष्य के लिए।

गत कुछ निर्णयों से तो ऐसा संदेश न्यायपालिका से जा रहा है कि यदि अपराधी प्रभावशाली और ताकतवर है तो कानून उसे बच निकलने के कई रास्ते प्रदान करता है और ऐसा करने में न्यायपालिका भी सहायता करती हैं। इससे पहले कि यह डगमगाता विश्वास बिल्कुल समाप्त हो जाए, न्यायपालिका को स्वयं आत्मावलीकन कर सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए ताकि वह संविधान सम्मत जनाकांक्षा के अनुरूप काम कर सके।

—**अतिथि सम्पादक,**
राजेन्द्र भागवत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

अरावली दीर्घकालिक पारिस्थितिक संरक्षण की ओर बढ़ते कदम

राजस्थान में अरावली संरक्षण पर सख्ती और हरियाली के संकल्प पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है



राजेंद्र गहलोत

भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली आज केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि पर्यावरण, नीति और राजनीति के संगम पर खड़ी है। विगत दिनों अरावली को लेकर जिस तरह के आरोप, आशंकाएं और बयान सामने आए हैं, उन्होंने इस अत्यंत संवेदनशील विषय को तथ्यों से अधिक राजनीतिक विमर्श का केंद्र बना दिया है। जबकि वास्तविकता यह है कि अरावली से जुड़े सभी नीतिगत निर्णय सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट, लिखित और बाध्यकारी आदेशों के अंतर्गत लिए गए हैं और उनका मूल उद्देश्य दीर्घकालिक पारिस्थिक संरक्षण है।

लगभग दो अरब वर्ष पुरानी अरावली पर्वतमाला दिल्ली से गुजरात तक करीब 65० किलोमीटर में फैली हुई है। यह इंडो-गंगा के मैदानों के मरुस्थलीकरण से बचाने वाली प्राकृतिक ढाल है और थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर बढ़ते प्रभाव को रोकती है। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, भूजल पुनर्भरण और चंबल, साबरमती

व लूनी जैसी नदियों के स्रोत के रूप में इसकी भूमिका निर्विवाद है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने अरावली को केवल खनन या विकास का विषय न मानकर राष्ट्रीय पारिस्थितिक संपदा के रूप में देखा है।

खनन की विरासत और नियंत्रण की आवश्यकता
अरावली क्षेत्र खनिज संसाधनों से समृद्ध रहा है और रशकों तक यहां खनन गतिविधियां चलीं। लेकिन बीते चार दशकों में अत्यधिक और अवैध खनन ने वायु प्रदूषण बढ़ाया, भूजल स्तर गिराया और पारिस्थितिक संतुलन को गंभीर चोट पहुंचाई। इसी प्रष्ठभूमि में 199० के दशक से पर्यावरण मंत्रालय ने खनन को सीमित करने के प्रयास शुरू किए। 2०09 में हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण प्रतिबंध लगाया और मई 2०24 में नए खनन पट्टों व नवीनीकरण पर रोक लगाई गई। यह स्पष्ट करता है कि न्यायिक और नीतिगत रुख समय के साथ अधिक सख्त और संरक्षण का होता गया है।

अरावली विवाद की जड़ लंबे समय तक असंगत परिभाषाएं रहीं।अलग-अलग राज्यों और संस्थानों द्वारा अलग मानक अपनाए जाने से न केवल भ्रम फैला, बल्कि अवैध खनन को भी बढ़ावा मिला। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार की पहल पर पर्यावरण मंत्रालय, भारतीय वन सर्वेक्षण, राज्य वन विभागों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और विशेषज्ञों को शामिल कर संयुक्त समिति गठित की गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस समिति की रिपोर्ट पर विचार कर 20 नवंबर 2०25 को अंतिम निर्णय दिया गया। ससका उद्देश्य अस्पष्टताओं का अंत और एक

वैज्ञानिक, एकरूप ढांचे की स्थापना था।

कुछ राजनीतिक बयानों में यह आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार ने अरावली को 1०0 मीटर में समेट दिया। यह आरोप न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देने का प्रयास भी है। वास्तविकता यह है कि 1०० मीटर की सीमा कोई नई खोज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2००5 को 1०0 मीटर से अधिक ऊंचाई को हिल मानने का मानक तय किया था।

यह तथ्य भी रेखांकित होना चाहिए कि 1०० मीटर फार्मुले को नीतिगत रूप से पहली बार 2००3 में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने ही दिया। अब यह तय किया गया है कि 1०० मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियां और उनसे 5०0 मीटर के दायरे में आने वाले सभी लैंड फॉर्मस एक संरक्षित श्रृंखला माने जाएंगे। इस 5०० मीटर जोन में आने वाले सभी भूआकृतिक ढांचे (उनकी ऊंचाई या ढलान चाहे जो भी हो) खनन से पूरी तरह बाहर रहेंगे। इसलिए यह कहना कि 1०० मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खनन खोल दिया गया है, सरासर भ्रामक है।

यह भी तथ्यहीन दावा है कि 9० प्रतिशत अरावली समाप्त हो गई। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अरावली का 98 प्रतिशत भाग संरक्षित है। लगभग 25 प्रतिशत क्षेत्र अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और आरक्षित वन में आता है, जहां खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है।

कुल अरावली क्षेत्र में से केवल 2 से 5.6 प्रतिशत क्षेत्र ही सीमित और नियंत्रित खनन के दायरे में आता है। राज्य सरकार के आकलन के अनुसार

अरावली के लिए न्याय सिर्फ डेटा और आँकड़े ही बताएंगे, जिसका आकलन सर्वे और मैपिंग के बाद ही किया जा सकता है



सूर्य प्रताप सिंह राजावत

हाल ही में अरावली पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश चुनिंदा व्याख्या का शिकार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2० नवंबर 2०25 के आदेश के तहत स्यात निर्देश जारी किए हैं। पहला निर्देश अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की एक समान परिभाषा से संबंधित है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के 9 मई 2०24 के आदेश के बाद गठित एक समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अरावली पहाड़ियां: ऐसी कोई भी जमीन जिसकी ऊंचाई स्थानीय भू-भाग (जमीन) से 1०0 मीटर या उससे अधिक हो, अरावली रेंज (पर्वतमाला): यदि दो या उससे अधिक ऐसी पहाड़ियां 5०0 मीटर के दायरे में हैं, तो उन्हें एक ही पहाड़ियों का समूह माना जाएगा। दूसरा समिति की रिपोर्ट के अनुसार खनन पर रोक से संबंधित है।

पांचवां निर्देश, जो फैसले के महत्वपूर्ण परिचालन भाग को रेखांकित करता है, एमपीएसएम को अंतिम रूप दिए जाने तक नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध है। छठा निर्देश, स्पष्ट रूप से कहता है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) के परामर्श से एमपीएसएम को अंतिम रूप दिए जाने

रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों से संबंधित है। चौथा निर्देश स्पस्टेनबल माइनिंग के लिए प्रबंधन योजना (एमपीएसएम) के बारे में बात करता है। दिलचस्प बात यह है कि सरंडा वन्यजीव अभयारण्य के लिए आदेश दिनांक 13 नवम्बर 2०25 द्वारा एमपीएसएम के निर्देश दिए हैं ।

किसी भी प्रकार की अस्पष्टता से बचने के लिए, एमपीएसएम के दायरे को अदालत द्वारा परिभाषित किया गया है जैसे एमपीएसएम को अरावली परिदृश्य के भीतर खनन के लिए अनुमेय क्षेत्रों, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील, संरक्षण-महत्वपूर्ण और बहाली प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पसचान करनी चाहिए जहां खनन पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाएगा या केवल असाधारण और वैज्ञानिक रूप से उचित परिस्थितियों में ही अनुमति दी जाएगी। एमपीएसएम में संचयी पर्यावरणीय प्रभावों और क्षेत्र की पारिस्थितिक वहन क्षमता का गहन विश्लेषण शामिल होगा और इसमें खनन के बाद बहाली और पुनर्वास के विस्तृत उपाय शामिल होंगे।

पांचवां निर्देश, जो फैसले के महत्वपूर्ण परिचालन भाग को रेखांकित करता है, एमपीएसएम को अंतिम रूप दिए जाने तक नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध है। छठा निर्देश, स्पष्ट रूप से कहता है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) के परामर्श से एमपीएसएम को अंतिम रूप दिए जाने

के बाद खनन केवल वहीं अनुमेय होगा जहां स्थिरता मानकों को पूरा किया जाता है। अंतिम निर्देश मौजूदा खनन गतिविधियों से संबंधित है जिन्हें विशेष समिति की रिपोर्ट की विचारिश के अनुसार अनुमति दी जाएगी।

पर्यावरण कार्यकर्ताओं की चिंता यह है कि अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की नई परिभाषा से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और उत्तरी भारत के प्रभावित इलाकों में जंगल कटाई और रेगिस्तान बढ़ने लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई कानूनी सवाल नहीं था जिस पर फैसला किया जाए। कोर्ट के पास फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दो ऑप्शन थे। कमेटी ने अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई तय करने के लिए रिचर्ड मर्फट लैंडफॉर्म क्लासिफिकेशन को अपनाया। जबकि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (एफएसआइ) की 19 फरवरी 2०1० को सर्वेमािट की गई रिपोर्ट में, अन्य बातों के अलावा, अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई तय करने के लिए तीन डिग्री से ज्यादा ढलान को शामिल किया गया है। एमिकस क्यूरी ने एफएसआइ रिपोर्ट का समर्थन किया। जबकि भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने इस आधार पर एफएसआइ रिपोर्ट का विरोध किया कि अरावली पहाड़ियों और श्रृंखलाओं से एक बड़ा क्षेत्र बाहर रखा गया है। दूसरी ओर,

यदि समिति की रिपोर्ट को मंजूरी मिल जाती है, तो अरावली पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की परिभाषा में बड़ा क्षेत्र शामिल हो जाएगा।

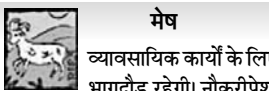
सुप्रीम कोर्ट ने समिति के काम की सराहना की, लेकिन कहा कि एफएसआइ को सारंडा की तर्ज पर किया जाना चाहिए रिट याचिका, एक निरंतर परमादेश होने के कारण, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियमित निगरानी में है। 2० नवंबर 2०25 का आदेश एक ऐसा आदेश है जिसमें भविष्य में, यदि आवश्यकता पड़ी तो, संशोधन किया जा सकता है। पर्यावरण से संबंधित सभी मुद्दों को पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत के अनुसार निपटया जाता है। सिर्फ एफएसआइ पूरा होने पर ही एफएसआइ पैरामीटर द्वारा किए गए दावों की असलिगत और एक्सपर्ट कमेटी द्वारा सुझाए गए परिभाषा के असर का पता चलाएगा। अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई को कौन सी परिभाषा अरावली की रक्षा करेगी, यह सिर्फ डेटा और आँकड़े ही बताएँगे, जिसका आकलन सर्वे और मैपिंग के बाद ही किया जा सकता है। इसके बाद कोई फैसला करेगा और अरावली को न्याय देगा। जो भी हो, एफएसआइ पूरा होने तक खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। चल रही बहस ने अवैध माइनिंग को रोकने का काम सौंपे गए एनवैरोमेंटेंट एजेंसियों की नाकामी के मुद्दे को छिपा दिया है।

कानूनी न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी

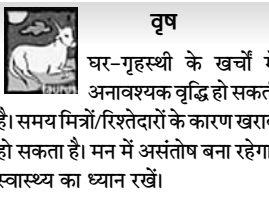
चाहिए, निर्णय में गायब है। अरावली मामले के लिए यह कानूनी दृष्टिकोण हितधारकों में विश्वास पैदा करेगा। साथ ही, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा फैसले सुनाए जाने के बाद डिप्टी करने की बढ़ती प्रवृत्ति के लिए श्रृंखलाओं की ऊंचाई की परिभाषा तय करने का काम एक्सपर्ट कमेटी का है, लेकिन अरावली मामले के अंतर्द्वारा अप्रवल की प्रक्रिया ने फैसले को विधायिका की भूमिका में खड़ा कर दिया न्यायिक संयोग को आवश्यकता है जैसे कि अरावली मामले और अयोध्या मामले में देखा गया है। यह एक स्थापित सिद्धांत है कि फैसले के लेखक को फैसला सुनाए जाने के बाद अदृश्य हो जाना चाहिए।

शक्तियों का पृथक्करण और न्यायिक समझौता भाते के संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का हिस्सा हैं। हालांकि अरावली पहाड़ियों और पर्वत हैं। इसलिए, अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई की परिभाषा और मापदंडों के खिलाफ विरोध का मतलब है न्यायपालिका संस्था पर ही विश्वास खो देना। आखिर में, जनहित याचिका के फैसले के लिए विस्तृत आदेश का ड्राफ्टिंग जरूरी है। आदेश की बेहतर ड्राफ्टिंग से मौजूदा सामाजिक अशांति, पैदा किया गया प्रायोजित भ्रम और बेबुनियाद आरोपों से बचा जा सकता था।

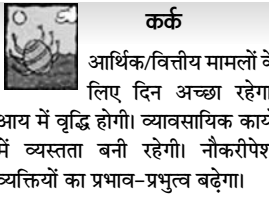
—**सूर्यप्रताप सिंह राजावत,**
अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर



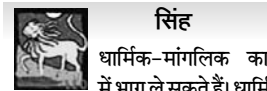
मेष
व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदेड़ रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।



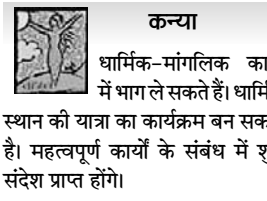
वृष
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। समय मित्रों/रिश्तेदारों के कारण खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।



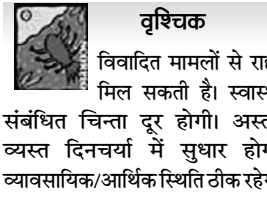
मिथुन
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा।



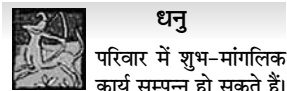
सिंह
धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।



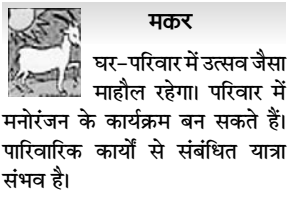
कन्या
धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।



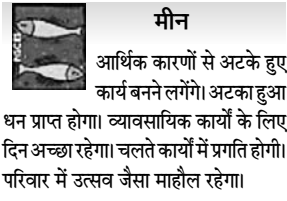
तुला
धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।



धनु
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्यों का समयन हो सकते हैं। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है।



मकर
घर-परिवार में उत्सव जैसा माहौल बनेगा। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं। पारिवारिक कार्यों से संबंधित यात्रा संभव है।



कुंभ
अपने अति आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आज प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।

मीन
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनेंगे लोगों अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

चौमूं उपद्रव के बाद नगर परिषद ने नोटिस जारी किये, तीन दिन में जवाब मांगा

अवैध निर्माण, अवैध मीट दुकानें, बूचड़खानों को नगर परिषद ने नोटिस जारी किये

- नगर परिषद ने इमाम चौक जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित घरों और दुकानों के बाहर किए गए अवैध अतिक्रमणों के संबंध में नोटिस जारी किए
- वर्तमान में चौमूं शहर में हालात सामान्य और शांतिपूर्ण बने हुए हैं, संवेदनशील इलाकों में एहतियातन तौर पर पुलिस बल तैनात है

चौमूं/कालाडेरा, (निसं)। चौमूं पत्थरबाजी की घटना के बाद चौमूं नगर परिषद प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को लेकर नोटिस चस्पा किए। चौमूं नगर परिषद प्रशासन ने शहर में अवैध अतिक्रमण और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की है। नगर परिषद ने इमाम चौक जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित घरों और दुकानों के बाहर किए गए अवैध अतिक्रमणों के संबंध में नोटिस जारी किए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर बने चबूतरे, अवैध सिढ़ियों सहित अन्य

एमडीएसयू के कुलगुरु के समर्थन में कर्मचारी एकजुट

दूरभाष पर धमकी व गाली-गलौज की निंदा की

अजमेर, (कास)। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय (एमडीएसयू) के कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल को एक निजी महाविद्यालय के संचालक द्वारा दूरभाष पर दी गई धमकी एवं गाली-गलौज की घटना के संदर्भ में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने कुलगुरु से शिष्टाचार भेंट की। कर्मचारियों ने इस आपत्तिजनक कृत्य की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हुए इसे विश्वविद्यालय की गरिमा और सर्वोच्च पद के प्रति अस्वीकार्य बताया।

कर्मचारियों ने एक स्वर में कहा

कि संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार कुलगुरु महोदय के साथ मजबूती से खड़ा है तथा किसी भी परिस्थिति में उनके साथ घटित घटनाक्रम की घोर निंदा करता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कुलगुरु द्वारा नियमों के अनुरूप लिए गए हर निर्णय का विश्वविद्यालय समुदाय पूर्ण समर्थन करता है। भेंट के दौरान कर्मचारियों ने निजी महाविद्यालय संचालक द्वारा किए गए कृत्य की निंदा के साथ-साथ उसके द्वारा की जा रही कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष एवं गहन जांच की मांग भी उठाई, ताकि भविष्य

में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और शैक्षणिक व्यवस्था की पारदर्शिता एवं शुचिता बनी रहे। इस अवसर पर पूर्व कर्मचारी अध्यक्ष दिलीप शर्मा, पूर्व महासचिव सुरेंद्र कुमावत, मनोज बिश्नोई, सुरेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, सिद्धार्थ पवार, पेप सिंह राजपूत, मुकेश कुमार मीणा सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। कर्मचारियों ने एकजुटता का संदेश देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा, अनुशासन और विधिसम्मत कार्यप्रणाली से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

गैंगरेप के आरोपी आईटी कंपनी सीईओ व साथी को जेल

उदयपुर, (कासं)। शहर पुलिस ने आईटी कंपनी मैनेजर पीड़िता के साथ कार में गैंगरेप के आरोपी आईटी कंपनी सीईओ व साथी को पुलिस रिमांड के बाद न्यायालय में पेश कर जेल भिजवाया।

प्रकरण के अनुसार गत दिनों शहर स्थित आईटी कंपनी के सीईओ द्वारा बर्धदे व एण्ड ऑफ इयर पार्टी के उपलक्ष में कम्पनी कर्मचारियों के लिए पार्टी का आयोजन करने के बाद कंपनी मैनेजर पीड़िता को घर छोड़ने के दौरान कार में उसके साथ गैंगरेप किया था। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध एवं अनुसंधान प्रकोष्ठ उदयपुर माधुरी वर्मा के नेतृत्व में सुखेर थानाधिकारी रविन्द्र चारण मय टीम ने अनुसंधान में मिले साक्ष्यों के आधार

आईटी कंपनी सीईओ जितेश प्रकाश सिसोदिया पुत्र कचरूलाल सिसोदिया निवासी स्काई मरीना अपार्टमेंट सुखाड़िया सकल अम्बामाता, गौरव सिरोही पुत्र शक्तिवीरसिंह सिरोही निवासी पामथीन सुपरटेक दिल्ली रोड ब्रम्हपुरी मेरठ यूपी हॉल हितावा अपार्टमेंट सुखेर को गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर लिया।

इस दौरान उसके बताए अनुसार रूट चार्ट, डेक कमेरा रिकार्डिंग व अन्य साख्य के आधार पर पूछताछ के बाद रिमाण्ड अवधि पूरी होने पर 29 दिसंबर को तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को 2 जनवरी तक के लिए जेल भेजा। आरोपियों द्वारा गैंगरेप की वारदात करने पर पीड़िता ने गत दिनों सुखेर पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया था।

बीकानेर में लिव-इन में रह रहे प्रेमी-प्रेमिका ने आत्महत्या की

- फोन में म्यूजिक लगाकर कमरे में फंदे पर लटके मिले, परिजन दरवाजा खटखटाते रहे
- युवती की शादी कहीं और तय हो गई थी, ऐसे में दोनों पर दबाव बनाया जा रहा था, इसके चलते दोनों ने आत्महत्या की

बीकानेर, (निसं)। लिव-इन में रह रहे प्रेमी-प्रेमिका ने फंदा लगाकर जान दे दी। युवती की शादी कहीं और तय हो गई थी। ऐसे में, दोनों पर दबाव बनाया जा रहा था, इसके चलते दोनों ने घर के कमरे में फंदा लगा लिया। देर रात कमरे से तेज आवाज में गाने चलने की आवाज आ रही थी, परिजनों ने दरवाजा भी खटखटाया था। इसके बाद सुबह जब दोनों को उठाने के परिजन गए तो शव फंदे पर लटके हुए देखे। मामला बीकानेर के बज्जू थाना इलाके का का है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने फांसी लगाकर जान दी है।

बज्जू थानाधिकारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि प्रकाश (21) और करिश्मा (20) ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। सुबह परिजनों ने मामले की जानकारी दी तो शवों को फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल मेडिकल बोर्ड से बज्जू उप जिला चिकित्सालय में दोनों के शवों का पोस्टमॉर्टम करवाया गया है। एस्पएचओ ने बताया कि दोनों जोगी कालबेलिया समाज के हैं और जुलाई से साथ में रह रहे हैं। इससे पहले दोनों कहीं और रहते थे। एस्पएचओ के अनुसार, करिश्मा का रिश्ता किसी अन्य युवक के साथ तय हो गया था। ऐसे में, वह किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। करिश्मा पर उसके परिवार की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा था। ऐसे में, प्रकाश और करिश्मा ने

अपनी जान दे दी। हालांकि, पुलिस अपने स्तर पर परिजनों से पुछताछ कर मामले की जानकारी जुटा रही है। जानकारी के अनुसार, प्रकाश के माता-पिता घर में ही दूसरे कमरे में सो रहे थे। वहीं प्रकाश और करिश्मा भी घर के पास वाले कमरे में सो रहे थे। इसी दौरान देर रात कमरे से मोबाइल पर गाने चलाए जाने की आवाज आने लगी। परिजनों ने सोचा कि दोनों गाने सुन रहे हैं। ऐसे में, मोबाइल पर गाने की आवाज तेज होने के चलते किसी को अंदाजा नहीं लग पाया कि दोनों अंदर सुसाइड करने की तैयारी में हैं। रात में भी परिजनों ने दरवाजा खटखटा कर पूछताछ करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद सुबह जब उन्हें उठाने के लिए दरवाजा खटखटाया तो दोनों फंदे पर लटके मिले।

सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत

उनियारा/टोंक, (निसं)। अलीगढ़ पुलिस थाना अन्तर्गत टोंक-सवाईमाधोपुर हाइवे पर बिलोता अण्डरपास पुलिया के पास रविवार देर रात को सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। अलीगढ़ पुलिस थानाधिकारी सीआई राजकुमार चौधरी ने बताया कि मृतक जितेन्द्र (27) पुत्र बाबूलाल महांवर निवासी अलीगढ़ जिला टोंक है।

- मृतक बाइक सवार युवक मजदूरी कर परिवार का कर रहा था पालन पोषण

उन्होंने बताया कि रविवार देर रात्रि पुलिस गश्त के दौरान पुलिस को टोंक-सवाईमाधोपुर हाइवे पर बिलोता अण्डरपास पुलिया के पास एक अज्ञात बाइक हेडलाईट जली हुई सड़क पर पड़ी मिली। इस पर पुलिस ने बाइक को जांच करने पर सड़क पुलिया के डिवाइडर के समीप सड़क हादसे में बाइक सवार मृत अवस्था में मिला। इस पुलिस ने मृतक के शव को अलीगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की मोर्चरी में रखवा कर मृतक की शिनाख्त में जुटी। पुलिस की सूचना पर सोमवार

सुबह मृतक बाइक सवार के परिजन पुलिस थाना पहुंचे। जहां परिजन ने बाइक सवार की शिनाख्त के बाद सड़क हादसे के मामले की जानकारी ली। सोमवार दोपहर दुर्घटना में बाइक सवार के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। मृतक के परिजनों की और से अलीगढ़ पुलिस में अज्ञात बाइक टक्कर से मौत होने की रिपोर्ट दी गई। मृतक युवक मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण कर रहा था।



मृतक का फाइल फोटो

गर्भवती महिला का ससुराल में संदिग्ध हालत में शव मिला

अलवर, (निसं)। नौ महीने एक गर्भवती महिला का ससुराल में संदिग्ध हालत में शव मिला। महिला की बहन ने फोन पर पीहर पक्ष को सूचना दी। मौके पर पहुंचे महिला के भाई और चाचा ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मामला अलवर जिले के बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र के नंगला बंजीरका गांव का है।

रामगढ़ डीएसपी पिंटू कुमार ने बताया कि हरियाणा के नूंह निवासी मोहम्मद इश्शाद ने रविवार को बगड़ तिराहा थाने में रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया कि नंगला बंजीरका में उसकी बहन संजीदा की ससुराल वालों ने हत्या कर दी। 1 दिसंबर 2024 को उसने अपनी बहन संजीदा (22) और मनीषा (21) की शादी रामगढ़ के नंगला बंजीरका गांव के पूर्व सरपंच आजाद के छोटे भाई तैयब के दो बेटों से की थी। संजीदा की शादी सादिक और मनीषा की शादी सरफराज के साथ की थी। इश्शाद ने बताया कि शादी के बाद से ही संजीदा को दहेज के लिए लगातार परेशान किया जा रहा था। इस दौरान संजीदा गर्भवती हो गई। रविवार को सुबह 11 बजे मनीष ने घर पर फोन करके कहा कि ससुराल वालों ने संजीदा

की हत्या कर दी है। हम रविवार दोपहर गांव पहुंचे तो संजीदा पलंग पर बेसुध पड़ी थी। घर पर छोटी बहन को छोड़कर कोई भी मौजूद नहीं था। हम उसे रामगढ़ सीपचसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

संजीदा के चाचा इस्लामुद्दीन ने बताया कि एक साल पहले ही हमने दोनों बेटियों की शादी की थी। शादी में ट्रैक्टर, बोलेरो, एसी, अभूषण और नकद राशि देने के बाद भी दहेज की मांग को जा रही थी। दोनों बहनों को घर में काफ़ी परेशान किया जाता था। यहां



मृतका का फाइल फोटो।

- महिला के भाई और चाचा ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया
- ससुराल पक्ष ने बताया कि पति से कहासुनी के बाद फंदा लगाया

तक कि उन्हें आपस में भी बात नहीं करने दिया जाता था। संजीदा गर्भवती थी, 8 से 10 दिन बाद ही उसकी डिलीवरी होने वाली थी। गांव के पूर्व सरपंच आजाद खान ने बताया कि मेरे भाई तैयब के बेटे सरफराज की पत्नी संजीदा ने रविवार की सुबह फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। पति-पत्नी के बीच छोटी सी कहासुनी को लेकर उसने ये कदम उठा लिया।

रामगढ़ डीएसपी पिंटू कुमार ने बताया कि रविवार शाम को पुलिस को सूचना मिलने के बाद शव को रामगढ़ अस्पताल की सीएचसी में रखवाया गया। सोमवार दोपहर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। भाई की रिपोर्ट पर मामले की जांच की जा रही है।

अलवर, (निसं)। अलवर में मोती इंग्री रोड पर तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ऑटो से टकराने के बाद बेकाबू होकर पलट गई। हादसे के बाद कार में सवार दो युवक मौके से फरार हो गए। ऑटो के परखच्चे उड़ गए,

- हादसे के बाद कार में सवार दो युवक मौके से फरार हो गये

जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हादसा रविवार रात करीब 9:30 बजे हुआ।

अरावली विहार थाना पुलिस के एसएसआई ओमप्रकाश ने बताया कि कार स्टेडियम की दिशा से एसएमडी चौराहे की ओर जा रही थी। इसी दौरान एलआईसी कार्यालय के बाहर खड़े ऑटो को टक्कर मार दी। इसके बाद कार एलआईसी ऑफिस की दीवार से जा भिड़ी और सड़क पर पलट गई।



हादसे के बाद ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।

घटना में कार सवार दोनों युवक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जिस समय हादसा हुआ, ऑटो में कोई मौजूद नहीं था। कार अमन, निवासी नयाबास के नाम पंजीकृत है, जबकि क्षतिग्रस्त ऑटो उदयपुर माधुरी वर्मा के नेतृत्व में सुखेर थानाधिकारी करणसिंह राठौड़ को मुखबिर से सूचना मिली थी कि फायरिंग में शामिल आरोपी गोलू गुर्जर महिला के भेष में श्योसिंहपुरा रोड पर घूम रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने महिला के वेश में घूम रहे व्यक्ति को देखा और घेराबंदी की। आरोपी ने सरसों के खेत में भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुछताछ में उसने भेष बदलकर छिपने और फायरिंग की घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की। गिरफ्तार आरोपी गोलू गुर्जर (21) सुरगढ़, थाना बाटोदा का निवासी है।

फायरिंग का इनामी बदमाश गिरफ्तार

- गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का शहर में जुलूस निकाला
- दो दिसंबर को महेंद्र उर्फ काडू पहलवान पर फायरिंग हुई थी

सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल ने बताया कि 2 दिसंबर को माल गोदाम रोड स्थित पुरानी सब्जी मंडी में महेंद्र उर्फ काडू पहलवान पर फायरिंग हुई थी। इस संबंध में कोतवाली थाना गंगापुर सिटी में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

कालीबाई बटालियन की चयन सूची जारी

- भर्ती के माध्यम से कांस्टेबल सामान्य, चालक और बंड के रिक्त पदों को भरा जा रहा है

जयपुर। कार्यालय कमांडेंट पांचवीं बटालियन आरएफसी जयपुर ने कालीबाई बटालियन आरएसी अलवर के लिए आयोजित कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2025 के अगले चरण की तैयारी पूरी कर ली है। विभाग द्वारा लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और शारीरिक माप-तौल में सफल रहे 536 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी कर दी गई है। इस भर्ती के माध्यम से कांस्टेबल सामान्य, चालक और बंड के रिक्त पदों को भरा जा रहा है। कमांडेंट चुनाराम जाट ने बताया कि

चयनित अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन, चरित्र सत्यापन और स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम कार्यालय कमाण्डेन्ट, पांचवीं बटालियन आरएसी, जयपुर में आयोजित किया जाएगा।

कमांडेंट ने बताया कि अभ्यर्थियों को अपने साथ सभी मूल दस्तावेज और उनकी स्वयं द्वारा प्रमाणित एक-एक छायाप्रति लाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि दस्तावेज सत्यापन और स्वास्थ्य परीक्षण की प्रक्रिया में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, अतः अभ्यर्थी पूरी तैयारी के साथ आएँ। कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि वह नियुक्ति का इच्छुक नहीं है, सूची से नाम हटाने की कार्यवाही की जाएगी।

संविदा कर्मियों ने नियमित करने व वेतन बढ़ोतरी की मांग की

‘संविदाकर्मों कई सालों से विभागीय कार्यों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं’

अलवर, (निसं)। संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति की ओर से सोमवार को सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन संविदा

- मांगें नही मामले पर उग्र आंदोलन और कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी

कर्मियों को नियमित करने और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर किया गया। संघर्ष समिति से जुड़े पदाधिकारी यश जोशी ने बताया कि राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में लंबे समय से प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से संविदाकर्मों कार्यरत हैं, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें अब तक नियमित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि संविदाकर्मों कई सालों से विभागीय कार्यों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें न तो परमानेंट किया जा रहा है और न ही न्यूनतम वेतनमान का लाभ मिल रहा है,



मांगों को लेकर संविदाकर्मियों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया।

जबकि अन्य राज्यों में समान कार्य करने वाले संविदा कर्मियों को न्यूनतम वेतन और बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। यश जोशी ने आरोप लगाया कि सरकार की अनदेखी के चलते संविदा कर्मियों का आर्थिक और मानसिक शोषण हो रहा है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन को होगी।

कार्यालय नगरपालिका खुडाला फालना स्टेशन जिला-पाली

रेसि नं./फैक्स नं. - (02938) 236170 / 236883, ई-मेल - eombfalna@gmail.com

Notice Inviting Bid

Bids for Development Work Of Subject matter(s) of Procurement are invited from interested bidders From 11.00 AM Date 23.12.2025 to 6.00 PM Date 02.01.2026

Other particulars of the bid may be Visited on the procurement portal (<http://Spppp.raj.nic.in>) in <https://eproc.rajasthan.gov.in> of the state and Municipal Board Khudala-Falna Office,

UBN :- DLB2526WSOGB28114, 28111, 28118, 28126, 28129, 28132, 28133, 28134, 28135, 28136

Raj.Samwad/C25/16560

Executive Officer
Municipal Board Khudala-Falna

Office of the Superintendent Engineering and Project Manager WCDC, Karauli

File No. :- 2413 - 17

Date :- 26/12/2025

Notice inviting Bid

NIB NO. 34/2025-26 YEAR 2025

Bids for Talab, Talai, Mpt, ECD, check dam, Recharge shaft, Sub surface barrier, talab renovation e.t.c of PMKSY 2.0 estimated value INR 116.11 Lacs (60.43+55.68) are invited from interested bidders upto to 06.00 PM, 04-01-2026

Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<https://eproc.rajasthan.gov.in> or <http://spppp.rajasthan.gov.in>) of the state and Departmental (<https://water.rajasthan.gov.in/wdcsc>).

UBN NO.- WSC2526WSR02131, 02132

Superintending Engineer and Project Manger WCDC Zila Parishad Karauli

Raj.Samwad/C25/16600

कार्यालय नगर परिषद बारां

nagarpalikabaran@gmail.com

रहने नगर, बारां (राज.) Phone : 07453-230106

क्रमांक :- नवम्बर / पुल शाखा / 2025 / 8935-36

दिनांक :- 23.12.2025

निविदा सूचना संख्या : 04/2025-26

नगर परिषद बारां द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु इस कार्यालय के द्वारा नगर परिषद बारां द्वारा पूल शाखा हेतु ई-रिक्वा की भेद्री की सफाई का कार्य हेतु ऑनलाइन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक संवेदक / फर्म निविदा से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें पोर्टल www.spppp.rajasthan.gov.in पर भी देख सकते हैं।

UBN NO. DLB2526WSOGB28192

आयुक्त नगर परिषद बारां

Raj.Samwad/C25/16618

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail: dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel. No. 07453-230244

क्रमांक-एफ/1/क्रय/निविदा/2025-26/8441

दिनांक-22.12.2025

Notice Inviting Bid No. 26/2025-26

Bids for Various Civil Work, Borwell and Irrigation System in New Nursery Creation Total Estimate Value Rs. 151.46 Lacs are invited from interested bidders upto 6 PM on 01.01.2026

Other Particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<http://Spppp.raj.nic.in>) in <https://eproc.rajasthan.gov.in> of the State & at our office in the office hours.

NIB Code-FOR2526WSOB04094, FOR2526WSOB04095, FOR2526WSOB04096, FOR2526WSOB04097, FOR2526WSOB04098, FOR2526WSOB04099, FOR2526WSOB04100

उप वन संरक्षक बारां

DIPRC/19162/2025

आर्मी-डे परेड में लडाकू विमान, टैंक और मिसाइलों का प्रदर्शन होगा : भजनलाल शर्मा

पहली बार सैन्य क्षेत्र के बाहर होगी आर्मी परेड का आयोजन : मुख्यमंत्री

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारतीय सेना प्रत्येक देशवासी का गर्व और अभिमान है। सेना के पराक्रम, त्याग और बलिदान के कारण ही हम सभी सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी डे परेड का आयोजन न सिर्फ जयपुर, बल्कि पूरे राजस्थानवासियों के लिए जवानों की अटूट राष्ट्रभक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है।

उन्होंने कहा कि पहली बार सैन्य छावनी की सीमाओं से बाहर आर्मी डे परेड का भव्य एवं ऐतिहासिक आयोजन जयपुर में होने जा रहा है। उन्होंने प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि जगत्पुरा में महल रोड पर 15 जनवरी को होने जा रही इस परेड के आयोजन में प्रदेशवासी अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों, ताकि वे सेना की वीरगाथा के बारे में और अधिक जान सकें। शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में 78वें सेना दिवस पर आयोजित होने वाली परेड और अन्य आयोजनों की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक में सेना के अधिकारियों ने



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को 78वें सेना दिवस पर आयोजित होने वाली परेड और अन्य आयोजनों की तैयारियों के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, सप्त शक्ति कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, डीजीपी राजीव शर्मा सहित राज्य सरकार एवं सेना के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

सेना दिवस पर होने वाले विभिन्न आयोजनों के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी को मुख्य परेड का आयोजन होगा, जिसमें जबकि 9, 11 व 13 जनवरी को भी आमजन इसकी रिहर्सल देख सकेंगे। प्रत्येक दिन लगभग डेढ़ लाख लोग इस भव्य परेड के साक्षी बनेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक दिन स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों,

नारी शक्ति, पूर्व सैनिकों सहित आमजन को परेड दिखाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परेड का आयोजन सुव्यवस्थित रूप से करने के लिए अधिकारी सेना के साथ समन्वय बनाते हुए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करें।

यह आयोजन भारतीय सेना और नागरिकों के बीच विश्वास, जुड़ाव और सम्मान के रिश्ते को और मजबूत

करेगा। इस परेड में लडाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स की फ्लाई-पास्ट टुकड़ियों का मार्च, मिसाइल व टैंकों, डोन तकनीक और आधुनिक युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। परेड में नेपाल आर्मी बैड भी हिस्सा लेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्मी परेड के अवसर पर एसएमएस स्टैडियम में 15 जनवरी को “शौर्य संध्या 2026” का आयोजन किया

- जयपुर के जगतपुरा में 15 जनवरी को होगी मुख्य परेड तथा 9, 11 व 13 जनवरी को रिहर्सल
- भारतीय सेना प्रत्येक देशवासी का गर्व और अभिमान : भजनलाल शर्मा
- शौर्य संध्या में ऑपरेशन सिंदूर पर लाइट एंड साउंड शो तथा ड्रॉन शो होगा

जाएगा। इससे पहले 10 जनवरी को इस आयोजन का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। इस दौरान फर्स्ट डे कवर का विमोचन, शहीदों के परिजनों का सम्मान, परंपरागत युद्ध कलाओं के प्रदर्शन के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर का भव्य लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया जाएगा। आधुनिक तकनीक के साथ 1000 ड्रोन्स का शो भी होगा। उन्होंने कहा कि 8 से 12 जनवरी 2026 तक “नो योर आर्मी” प्रदर्शनी का आयोजन सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन कॉलेज परिसर में किया जाएगा। प्रदर्शनी के दौरान आम नागरिकों को सेना की आधुनिक हथियार प्रणालियों और रक्षा तकनीक को नज़दीक से देखने का अवसर मिलेगा।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि, आयोजन को ऐतिहासिक और भव्य रूप देने के लिए अधिकारी सभी जरूरी तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने परेड स्थल पर अतिथियों और आमजन की बैठने की व्यवस्था, परिवहन, यातायात और पार्किंग व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, सप्त शक्ति कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित राज्य सरकार एवं सेना के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

नववर्ष पर कानून व्यवस्था को लेकर होटल, बार संचालकों के साथ पुलिस की बैठक

जयपुर। नववर्ष की पूर्व संध्या एवं नववर्ष के अवसर पर जयपुर शहर में शांति-सुरक्षा एवं बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से विशेष पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश एवं अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (कानून व्यवस्था) राजीव पवार ने पुलिस कमिश्नरेट में जयपुर शहर के होटल, रेस्टोरेंट एंड बार संचालकों के साथ एक समन्वय बैठक आयोजित की।

बैठक के दौरान विशेष पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम करें। इसके साथ ही सोसीटीवी दुरुस्त रख कर महिला सुरक्षाकर्मी भी नियोजित करें। वहीं डीजे माइक का उपयोग नियमानुसार ही करें। इसके अलावा हुक्का बार पर प्रतिबंध की पूर्ण पालना करें।

राहुल प्रकाश ने कहा कि नववर्ष की पूर्व संध्या पर शराब के सेवन के पश्चात वाहन चलाने की घटनाओं में वृद्धि की संभावना होती है। जिससे सड़क

दुर्घटनाओं की गंभीर आशंका बनी रहती है। ट्रिंक एंड ड्राइव के कारण न केवल चालक, बल्कि अन्य नागरिकों के जीवन को भी खतरा उत्पन्न होता है। ऐसे में सड़क सुरक्षा एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग के साथ-साथ होटल,रेस्टोरेंट एंड बार संचालकों की भी नैतिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि वे इस दिशा में सहयोग करें।

उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक होटल,रेस्टोरेंट एवं बार अपने मेहमानों-आगतुकों को प्रतिष्ठान से लौटते समय बिल के साथ 3 उंच आकार की गुलाबी रंग की स्लिप उपलब्ध कराएंगे। जिस पर स्पष्ट रूप से शराब पीकर वाहन न चलाएं का संदेश अंकित होगा।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक होटल, रेस्टोरेंट एवं बार परिसर के अंदर एवं बाहर चार-चार 2 से 2.5 फीट आकार के गुलाबी रंग के पोस्टर उक्त संदेश के साथ ऐसे स्थानों पर लगाए जाएंगे। जो आमजन को स्पष्ट रूप से दिखाई दें। इनमें से कम

से कम एक पोस्टर प्रसाधन क्षेत्र में लगाया जाना अनिवार्य होगा।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक थानाधिकारी अपने थाना क्षेत्र में स्थित सभी होटल, रेस्टोरेंट एंड बार के मैनेजर अथवा व्यवस्थापक से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर 30 दिसंबर 2025 तक उक्त स्लिप एवं पोस्टर होटल प्रबंधन द्वारा स्वीकृष्क रूप से छवाने तथा पोस्टर चप्सा कराने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही प्रत्येक होटल, रेस्टोरेंट एवं बार में इस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सतत निगरानी हेतु एक कॉन्स्टेबल अथवा हेड कॉन्स्टेबल को नोडल पुलिस अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। जो होटल प्रबंधन के साथ समन्वय स्थापित कर इस अभियान को सफल बनाएगा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस पहल का उद्देश्य नववर्ष के दौरान सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण, यातायात सुरक्षा को सुदृढ़ करना तथा जयपुर शहर में शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है।

मंत्रियों ने सुनी कार्यकर्ताओं की समस्याएं

जयपुर । भाजपा प्रदेश कार्यालय में सोमवार को पशुपालन एवं डेयरी, गोपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत तथा राजस्व, उपनिवेशीकरण एवं सैनिक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री विजय चौधरी ने कार्यकर्ता सुनवाई की। मीडिया को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई शुरू करने का निर्णय ऐतिहासिक है। कुमावत ने कहा कि सुनवाई के दौरान प्रारंभिक रूप से पशुपालन विभाग से जुड़ी समस्याओं के साथ-साथ बिजली और पानी से संबंधित मुद्दे सामने आए, जिनमें से अधिकांश का निस्तारण मौके पर ही करने के निर्देश दिए गए। जहां आवश्यकता थी, संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखने के निर्देश भी दिए गए। कुमावत ने कहा कि भजनलाल सरकार राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है।

जयपुर विकास प्राधिकरण में जल्द शुरू होगी ई-जनसुनवाई

जयपुर (कासं)। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) में अब नागरिकों की सुविधा और शिकायतों के निवारण में पारदर्शिता लाने के लिए शीघ्र ही ‘ई-जनसुनवाई’ शुरू की जाएगी। नवनियुक्त आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने सोमवार को कार्यभार संभालते ही यह नवाचार किया है। उन्होंने कहा कि अभी लोगों को अपनी शिकायतें दर्ज करवाने अथवा समस्याओं के समाधान के लिए जेडीए में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ता है, ऐसे में लोगों को नासिर्फ अपने जरूरी काम छोड़ने पड़ते हैं, बल्कि उन्हें काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ती है। एक ही शिकायत के लिए बार-बार आना-जाना तथा जेडीए के दफ्तरों में चक्कर कटवाना बेकार है।

इन्हें समस्याओं को देखते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण में डिजिटल ‘ई-जनसुनवाई’ प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

महाजन ने बताया कि, लोगों को अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करवाने



जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने अधिकारियों की बैठक ली।

पड़ेगी। इसके बाद यह शिकायतें संबंधित जोन अथवा प्रकोष्ठ को भेजी जाएंगी, जहां इनका परीक्षण होगा। इस कार्यवाही के उपरांत, प्रार्थी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना जायेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक ओर प्रार्थी होगा, वहीं दूसरी ओर जेडीए के उच्चाधिकारियों की टीम होगी, जो प्रार्थी की समस्या सुनकर, उनकी समस्या का यथोचित समाधान करेगी। साथ ही इस संपूर्ण कार्यवाही की रिकॉर्डिंग करवाई जाएगी। इसके बाद भी

यदि कार्य निस्तारण में बाधा आती है, तो उसकी जानकारी भी प्रार्थी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही दी जाएगी। इस नई व्यवस्था के तहत लॉन्च पड़े पुराने प्रकरणों का निस्तारण भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। महाजन ने बताया कि इस डिजिटल पहल का मुख्य उद्देश्य आमजन की परेशानी कम करना, प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। ‘ई-जनसुनवाई’ प्रणाली नागरिकों और जेडीए, दोनों के समय व

- नवनियुक्त आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने कार्यभार संभालते ही किया नवाचार

संसाधनों के दक्ष उपयोग में सहायक होगी। इस नई व्यवस्था से जेडीए की सेवाओं में डिजिटल सुधार की एक नई शुरुआत होगी और नागरिकों को त्वरित व प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली उपलब्ध हो सकेगी। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने सोमवार को कार्यभार संभालते ही सभी अधिकारियों को बैठक भी बुलाई। उन्होंने बारी-बारी से सभी जोन व प्रकोष्ठों से उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। जेडीसी से साफ चेताया कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का फायदा आमजन तक पहुंचाए सभी अधिकारी-कर्मचारी पूर्ण पारदर्शिता के साथ काम करें, किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

विधायक डागा को कारण बताओ नोटिस देगी अनुशासन समिति

जयपुर । भाजपा प्रदेश अनुशासन समिति की बैठक सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में समिति के अध्यक्ष ऑंकार सिंह लखावत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में समिति के सदस्य पूर्व सांसद रामकुमार वर्मा, विधायक श्रीचंद कुपलानी और सरोज कुमारी उपस्थित रहे तथा पूर्व सांसद नारायण पंचारिया आनलाइन जुड़े। लखावत

ने बताया कि समिति की बैठक में अनुशासनहीनता से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई तथा अनुशासनहीनता के प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई का निर्णय किया गया। इस दौरान खींवर विधायक रेवताराम डागा के प्रकरण में समिति सदस्यों ने सर्वसम्मति से उनको कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय किया गया।

भाजपा ने की मोर्चा अध्यक्ष की घोषणा

जयपुर। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश के मोर्चा अध्यक्षों की घोषणा की उनमें युवा मोर्चा शंकर गौरा, किसान मोर्चा पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, ओबीसी मोर्चा महेंद्र कुमावत, अल्पसंख्यक मोर्चा हामिद खान मेवाती, अनुसूचित जाति मोर्चा पूर्व केंद्रीय मंत्री निहालचंद मेघवाल, अनुसूचित जनजाति मोर्चा गोपीचंद मीणा को मोर्चा अध्यक्ष बनाया है।

इंटेलिजेंस, डिफेंस और साइबर सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान खोजेंगे देशभर के युवा टेक-माइंड्स

जयपुर । केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान (सीडीटीआई) जयपुर में आज से दो दिवसीय राष्ट्रीय हैकार्थन शील्ड 1.0 - स्मार्ट हैकार्थन फॉर इंटेलिजेंस,एनफोर्समेंट,लॉ एवं डिफेंस काविधिवत शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य ध्येय खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने आने वाली आधुनिक समस्याओं के लिए तकनीक-आधारित प्रभावी समाधान खोजना है।

निदेशक सीडीटीआई डॉ. अमनदीप सिंह कपूर

ने बताया कि इस हैकार्थन के माध्यम से देशभर के साइबर विशेषज्ञ, डेवलपर्स और नवाचारी छात्र एक मंच पर एकीकृत हुए हैं। यह आयोजन मुख्य रूप से डिजिटल फॉरेंसिक्स, साइबर अपराध रोकथाम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सर्विलांस इंटेलिजेंस जैसे गंभीर विषयों पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य ऐसी उन्नत प्रणालियां विकसित करना है, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा और पुलिसिंग क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और अधिक सुदृढ़ बना सकें।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उप निदेशक एनसीआरबी नई दिल्ली प्रभु गुप्ता उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में आधुनिक पुलिसिंग और कानून प्रवर्तन में डेटा एनालिटिक्स और एआई की महत्ता को रेखांकित किया। उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे ऐसे समाधान विकसित करें जो न केवल तकनीकी रूप से उन्नत हों, बल्कि वास्तविक परिस्थितियों में व्यावहारिक और नैतिक रूप से सुरक्षित भी हों। सीडीटीआई

निदेशक डॉ. कपूर ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए शील्ड 1.0 की अवधारणा को साझा किया। उन्होंने बताया कि युवाओं की रचनात्मक सोच को सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में विस्तार योग्य मांडव्य में बदलना इस हैकार्थन की पहली प्राथमिकता है। विशेष अतिथियों के रूप में एमएनआईटी जयपुर की डॉ. मीनाक्षी त्रिपाठी और साइबर विशेषज्ञ योगेश राव ने भी नवाचार और स्वदेशी तकनीकी विकास के महत्व पर अपने विचार रखे।

अरावली संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक : राजेन्द्र राठौड़

जयपुर। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए हालिया निर्णय का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक और दूरदर्शी बताया है। राठौड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म “एक्स” पर ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा, जिसमें 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पर्वतमालाओं को अरावली हिल्स माना जाएगा, को लेकर स्वतः संज्ञान लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

न्यायालय द्वारा 20 नवंबर को दिए गए पूर्व आदेश पर रोक लगाते हुए एक एक्सपर्ट कमेटी के गठन का निर्णय संतुलित और विवेकपूर्ण कदम है। राठौड़ ने कहा कि इस विशेषज्ञ समिति द्वारा मौजूदा विशेषज्ञ रिपोर्ट का गहन अध्ययन एवं विश्लेषण कर सर्वोच्च न्यायालय को तथ्यपरक और व्यावहारिक सुझाव दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को लेकर गलत अर्थ निकाले जा रहे हैं, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई थी।

फिलहाल अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में खनन पर रोक जारी रहेगी और

इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इससे पहले केंद्र सरकार ने भी अरावली पर्वतमाला में हो रहे अवैध खनन को रोकने और इसके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अरावली क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नए खनन पट्टे जारी न करने के निर्देश देना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक मजबूत पहल है।

राठौड़ ने इस गंभीर और संवेदनशील विषय पर जिम्मेदार रवैया अपनाने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विशेष धन्यवाद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने कई बार सार्वजनिक मंचों से यह स्पष्ट संदेश दिया है कि अरावली हमारी अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है और इसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। राठौड़ ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि अरावली के दीर्घकालीन संरक्षण और समग्र विकास के लिए अरावली डवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए हरा-भरा और सुरक्षित राजस्थान सुनिश्चित किया जा सके।

सार-समाचार

भीमथल में उजाले के लिए तरह रहे लोग

धोरीमन्ना, (निर्सं)। देश कि आजादी के बाद देश में कहीं नेता आए और गये। पर इस गांव के मतदाताओं की हालात पर किसी नेता की नजर नहीं पड़ी। यह गांव विधानसभा क्षेत्र गुडामालानी के पंचायत समिति धोरीमन्ना के ग्राम पंचायत भीमथल है। जिसमें पाबुजी महाराज की देव भुमि में रहने वाले अलग-अलग समाजों के लोग आज भी गुलामी कहे या सरकारी सुविधाओं से वंचित है। आज दिन इस लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार धोरीमन्ना क्षेत्र के भीमथल गांव के पाबुजी महाराज कि तपों भुमि में निवास करने वाले भील समाज,ढाड़ी समाज,मेघवाल, सहित अन्य समाजों के लोग आज बदलते देश में गरीबी और मूलभूत सुविधाओं के लिए मतदाता तरस रहे हैं। देश दिनों दिन प्रगति कर रहा है यह लोग पेपेजल,बिजली, प्रधानमंत्री आवास,नरेगा, सहित कई मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटकर उम्र पुरी कर दी। पर इनकी बात और दिक्कती को किसी नेता ओर सरकार के प्रशासनिक अधिकारी ने सुनी और नहीं देखी। यह लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर तरसने के साथ सरकारी अधिकारियों को बार बार कहकर थक गए है। भीमथल पाबुजी महाराज कि तपों भुमि में रहने वाले गोमाराम भील ने बताया कि मेरे परिवार कही वर्षों से इस पाबुजी महाराज कि ओरस भुमि में निवास करते है। हमारे परिवार में पच्चास से ज्यादा सदस्य है। आज दिन हमें ओर मेरे किसी परिवार के सदस्यों सहित अन्य समाजों के लोगों को भी सरकारी मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। पुरो देवी भील ने कहा कि मेरे पति का दुर्घटना में मौत हो गई। ना तो मेरे पास रहने के लिए भुमि है ना मेरे छोटे छोटे तीन बच्चों को पालने का भी सहारा नहीं है। ऐसे में सरकार मेरे गरीब परिवार का सहारा बनकर मुझे मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने की मांग की। सरकारी दफ्तरों के चक्कर निकालकर 60 साल पुरे कर दिये। मगर आज दिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। आज भी हम लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं हमें सरकारी सुविधाओं का लाभ नियम अनुसार देकर सरकारी सुविधाओं से जोड़ने की मांग की।

मंदिर की जमीन से कब्जे हटाने का ज्ञापन

फलोदी, (निर्सं)। शहर के मध्य कि भेरु गिरी जी महाराज की सारी नीलकंठ महादेव मंदिर के डोली की जमीन पर बसे अतिक्रमण हटाकर मंदिर डोली की जमीन मंदिर को सुपुर्द करने के उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों को पालना को लेकर जिला कलेक्टर श्वेता चौहान को मंदिर महंत महेश्वरनंद गिरि महाराज के सानिध्य में लोगों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम फलोदी, पटवार हल्का फलोदी, भू. अधि.नि.क्षै. फलोदी, तहसील फलोदी, जिला फलोदी (जोधपुर) के खसरा संख्या 257 रकबा 61 बीघा 9 बिस्वा डोली भूमि पर भूमाफियों द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से बिना अधिकारिता के आगे से आगे बैकान कर राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन न. 2729 दिनांक 28 जुलाई 2016 दर्ज करवा लिया है, जो वक्त सेलमेंट पर उसके पहले से भैरुगिरी जी सराय नीलकंठ महादेव मन्दिर के नाम से दर्ज करवाने के बाद आगे-से आगे प्लोट का बैचान कर दिया है जो अवैध है। जिस पर भी विधिक कार्यवाही कर पुन: मंदिर के नाम म्यूटेशन दर्ज कर न्यायोचित एवं विधि सम्मान कार्यवाही आवश्यक है।

फलोदी में भाजपा की कार्यशाला हुई

फलोदी, (निर्सं)। भारतीय जनता पार्टी जोधपुर देवात उत्तर की अटल स्मृति अधिनियम एवं सुशासन पखवाडा के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन होटल तुलसी सभागार मलार रोड पर किया गया। जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ज्योति जाणी जोधपुर उत्तर,विशिष्ट अतिथि संगठन सह प्रभारी महेंद्र मेघवाल एवं मुख्य वक्ता फलोदी के विधायक पन्नाम राम बिस्नोई रहे। कार्यशाला में सभी अतिथियों ने पार्टी एवं संगठन के बारे में विशेष चर्चा करते हुए संगठन को बडे रूप पर मानक तैयार करने पर एवं सुशासन पखवाडा पर प्रकाश डालते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवनी पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम का संचालन पार्टी के जिला महामंत्री माधुसिंह देवडा ने किया एवं सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस कार्यक्रम में भाजपा शहर मंत्री लक्ष्मीनारायण व्यास,घनश्याम पवार जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा जोधपुर शहर,जयप्रकाश बोहरा जिला महामंत्री,मेघराज कल्ला, केवल राम मेघवाल,जिला उपाध्यक्ष, कार्यक्रम में युद्धवीर सिंह ढाका, ओम बोहरा, शिव पंचारिया, सहदेव चारण ,संजय कानासर सहित सभी मंडलों के अध्यक्ष उपस्थित रहे। कार्यशाला में शिकुमार व्यास, सुनील व्यास,गोपाल रंगा, मुरलीधर देया, स्वामी बालकृष्ण, चतुर्भुज सोनी, गौरीशर सोरोवर, आमर प्रकाश शर्मा, सौरभ बोहरा,राजवीर देवडा, जगदीश पालीवाल, सिकंदर घोषी, श्याम काच्छवाणी, मुकेश पीलवाल, दुर्ग सिंह सिंहडा,मोती जिगनर, गुमानसिंह खौचन, अमरुलाल, देवी भार्गव, सोमा चौहान सरिता ओड आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

छगन राजपुरोहित ने शिलान्यास किया

जालोर, (कासं)। आहोर विधायक छगनसिंह राजपुरोहित ने सोमवार को क्रमोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के नूत अस्पताल भवन का विधिवत शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम वैदिक मंत्रोच्चारण एवं संत-महात्माओं के सानिध्य में संपन्न हुआ। शिलान्यास समारोह में आहोर छगनसिंह राजपुरोहित ने कहा कि इससे भाद्राजून क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर एवं सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, आपाकालीन सेवाओं सहित अन्य चिकित्सा सुविधाएं सुगमता से मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि यह सीएचसी क्षेत्र के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने केन्द्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे निरंतर विकास कार्यों की जानकारी दी। शिलान्यास समारोह में महंत संतोष भारती महाराज, मांगीला प्रजापत, अमरसिंह तोड़मी, शैतानसिंह नोरवा, महावीरसिंह पांणवा, लालसिंह राजपुरोहित, दिनेशसिंह राठौड़, शैतानसिंह भाद्राजून, कैलाश शर्मा, स्थानीय प्रशासक सुरेन्द्र मौणा, अमृत कुमार, सुरेन्द्र कुमार, रमेश सिंह नोरवा सहित विभाग के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

परिवहन विभाग ने सहयोग की अपील की

जालोर, (कासं)। राज्य सरकार के निर्देशानुसार परिवहन विभाग द्वारा निजी बसों के मालिकों को 31 दिसम्बर तक बसों पर लगे कैरियर और ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां हटाने की अपील जारी की गई है। जिला परिवहन अधिकारी जालोर अनूपप्रकाश चौधरी ने समस्त निजी बसों के मालिकों से अपील की है कि वे छत पर लगे कैरियर और ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ 31 दिसम्बर तक हटा लेवें। इसके लिए सभी बस ऑपरेटर, मालिकों व चालकों को 31 दिसम्बर तक का समय दिया गया है। इसके उपरांत बसों पर कैरियर व सीढ़ियाँ नहीं हटाए जाते हैं। 1 जनवरी, 2026 से प्रवर्तन किया जायेगा कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि निजी बस संचालक छतों पर भी यात्रियों को बैझा देते है और सामान भी रख देते है, जो कि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से घातक है। सड़क सुरक्षा मानकों की पालना से निश्चित रूप से दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा ओवरलॉडिंग व ओवरक्राउडिंग की समस्या को देखते हुए निर्देश दिए गए है। निर्देशों की पालना नहीं करने पर चालान काटने के साथ ही बसें भी सीज की जायेगी।

तहसीलदार का बहुमान किया

रेवदर, (निर्सं)। रेवदर के निकट भटना कस्बे के समीपवर्ती ग्राम सलोतार के ग्रामीण जने ने आज तहसील कार्यालय सिरोही में तहसीलदार जगदीश कुमार बिस्नोई का बहुमान किया गया। पूर्व में रेवदर तहसील में कार्यरत थे उनके द्वारा सलोतार में सहरणीय कार्य किये गए थे कांग्रेस अध्यक्ष रामाराम नरौली एवं सलोतार के रणछोड राम पुनाराम भुराराम भमराराम छान राम नरसाराय भमराराम मंशा राम भंवरा राम गणेश कुमार अमरत दलाराम चन्दूलाल हेमाराम आलाराम माधाराम नगराम रमेश कुमार प्रकाश चमनलाल रणजीत दशरथ विनोद कुमार सुरेश कुमार आदि उपस्थित थे।

चाकू लेकर घूमते युवक को पकड़ा

जोधपुर, (कासं)। शहर की सरदारपुरा पुलिस ने डी रोड पर एक युवक को चाकू सहित पकड़ा। आरोपी के हेलिकॉप आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया गया। सरदारपुरा पुलिस थाने के डिप्टीसेबल मूलचंद ने गस्त के समय सरदारपुरा डी रोड पर राजीव गांधी बस्ती चांदणा भाखर निवासी मो. साहिल पुत्र जबार खां को चाकू सहित पकड़ा।

कांग्रेस का अरावली बचाओ अभियान, पैदल मार्च निकाला

जालोर, (कासं)। आहोर उपखण्ड मुख्यालय पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आहोर और भाद्राजून के संयुक्त कार्यक्रम के तहत सोमवार को अरावली बचाओ जन आंदोलन और महात्मा गांधी नरेगा को निरस्त करने के विरोध में सरोज चौधरी के नेतृत्व में जन जागरण रैली को लेकर पैदल मार्च निकाला गया।

रैली में भैसवाडा रोड प्याऊ से अस्पताल रोड आहोर तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का विरोध किया। रैली के दौरान आमजन को यह बताया गया कि केंद्र और राज्य सरकार जन विरोधी है और इन्हीं जन विरोधी नीतियों के तहत ही महात्मा गांधी नरेगा योजना को निरस्त किया जा रहा है। इधर अरावली की ऊंचाई को निर्धारित कर कथित रूप से खनन माफिया के हाौसलों को तबज्जो देने का काम कर रही है।

विधानसभा प्रत्याशी सरोज चौधरी ने कहा कि अरावली पर्वतमाला प्रदेश की जीवरेखा है। यही अरावली रेगिस्तान के विस्तार को रोकने में सहायक है और धूलभरी आंध्रियों से बचाव करती है। भाजपा की केन्द्र सरकार ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को निरस्त करने के लिये एक विधेयक पेश कर अत्यन्त चिंताजनक और सुनियोजित कदम उठाया है। केन्द्र सरकार द्वारा मनरेगा को कमजोर करने के लिये महात्मा गाँधी का नाम हटाने, रोजगार गारंटी का निनाश करने, केन्द्र सरकार का जिम्मेदारों से पीछे हटने जैसे कार्य इस विधेयक के अन्तर्गत पारित करना प्रस्तावित है।

पीसीसी सदस्य सवाराम पटेल ने कहा कि अरावली पर्वतमाला पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक होने के साथ ही प्रदेशवासियों के लिए आस्था

गुजरात के विद्यार्थी जैसलमेर भ्रमण पर आए

जैसलमेर, (नि.सं.)। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना के अंतर्गत गुजरात के सिद्धपुर जिले के सरस्वती शिशु मंदिर के 50 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के दल ने जैसलमेर स्वर्ण नगरी का शैक्षणिक भ्रमण किया। दल प्रभारी शिक्षक श्री शशिकांत ने बताया कि दल में 27 छात्राएं और 23 छात्र शामिल रहे। जिनमे कक्षा आठवीं के 20 टॉपर विद्यार्थी, कक्षा दसवीं के 20 टॉपर विद्यार्थी तथा 10 विद्यार्थियों का चयन प्रतियोगिता के आधार पर कर के भ्रमण हेतु लाया गया है। दल को सोनार दुर्ग, गौरीशर सोरोवर, दीवान सालमसिंह हवेली, दिवान नथमल हवेली, पटवा हवेली, जेठा पाणन को नवीन हवेली के अग्र भाग में पीपा पाषाण पर की गई बारीक करीगिरी को दिखाया गया।

प्रजापत समाज का प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान समारोह आयोजित

जालोर, (कासं)। समस्त प्रजापति वेलफेयर संस्थान सुमेरपुर के तत्वावधान में दो दिवसीय त्रि जिला स्तरीय जालोर,सिरोही, पांी का युवती परिचय एवं प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान समारोह धीनमाल शहर में शंकरभाई प्रजापति वाटिका में आयोजित हुआ।

संस्थान के उपाध्यक्ष हेन्‍ड्र कुमार राठौड जालौर ने बताया कि कार्यक्रम का आगाज प्रजापत समाज की आराध्य देवी श्रीयादे माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुरू हुआ। कार्यक्रम के प्रथम दिवस परिचय समेलन में संपूर्ण क्षेत्र से लगभग 50 युवक युवतियों ने भाग लिया। इन सभी को मंच प्रदान किया गया। संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा इनका दुपट्टा पहना कर स्वागत अभिनंदन किया। युवक युवतियों द्वारा अपना संक्षिप्त विवरण मंच के माध्यम से प्रस्तुत किया और समाज में हो रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में अपने-अपने सुझाव दिया। संस्थान के उपाध्यक्ष महेन्द्र कुमार राठौड़ ने अपने उद्बोधन में कहा कि ऐसे आयोजन से समाज में सगाई एवं परिचय में जो बाधाएं आ रही है उसका निराकरण होगा। साथ ही पहले के जमाने में जब किसी के घर में या सामाजिक आयोजन होता था तब लोगों का मिश्रन होता था। आपस में बातचीत होती थी और मुलाकात होती थी जिसे संबंध गहरे होते थे, भाईचारा बढ़ता था। संबंध को लेकर जो आज की दुनिया बनी हुई है। उस समय ऐसी परिस्थिति नहीं थी कार्यक्रम में शिवगंज के पूर्व प्रधान जीवाराम आर्य ने भी अपना उद्घोषन दिया कार्यक्रम का मंच संचालन गणेश प्रजापति उदयपुर ने किया। कार्यक्रम के दूसरे दिवस पर समाज की 500 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर ईश्वर प्रजापति वरिष्ठ वैज्ञानिक



आहोर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आहोर और भाद्राजून के संयुक्त कार्यक्रम के तहत महात्मा गांधी नरेगा निरस्त करने के विरोध व अरावली बचाओ जन आंदोलन के लिए पैदल मार्च निकाला। फोटो-राष्ट्रदूत

का केन्द्र है। अनेक देवालय इस पर्वतमाला पर स्थित है। जिला उपाध्यक्ष आमसिंह परिहार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा षड्यंत्र रचकर प्रदेश की पहचान अरावली पर्वतमाला को खनन माफियाओं के हवाले कर खनन पट्टे आवंटित कर समाप्त करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। प्रदेश की इस बहुमूल्य सम्पदा को नष्ट होने से बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के समस्त नेता एवं कार्यकर्ता कृत संकल्प है। आहोर ब्लॉक अध्यक्ष गजेन्द्रसिंह डोडियाली ने कहा कि अरावली पर्वतमाला समाप्त ना हो और भाजपा द्वारा प्रदेश की सम्पदा को अपने उद्योगपति मित्रों को सौंप कर लुटवाने

हस्तशिल्प उत्सव में बच्चों को स्वर्ण प्राशन ट्रॉप पिलाई

जोधपुर, (कासं)। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा रावण का चवतार मैदान में चल रहे पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 में जन सामान्य के लिए विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। इसमें पंचमंक चिकित्सा, प्रकृति परीक्षा, स्वर्णप्राशन, नशामुक्ति सामान्य चिकित्सा, होम्योपैथी चिकित्सा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा आदि स्वास्थ्य सुविधाएं है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं में अभी तक आयुर्वेद सामान्य चिकित्सा से 297 आमजन लाभान्वित हुए, मेले में

323 बच्चों को स्वर्ण प्राशन ट्राप पिलाई गई, 295 लोगों का प्रकृति परीक्षण किया गया, 273 लोगों ने होम्योपैथी चिकित्सा तथा 252 लोगों ने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ उठाया। साथ ही पंचमंक चिकित्सा परामर्श 93 लोगों के साथ ही 60 लोगों को नशा मुक्ति के लिए जागरूक किया गया।

मेला प्रभावी डॉ. जोगेंद्र प्रजापत, काय चिकित्सा के डॉ. करण सिंह, डॉ. सदावत खान, डॉ. अमित गहलोट, डॉ. वैभव, डॉ. हरीश लोडवाल, डॉ. अशोक कुमार, डॉ. मेधा अठावाल, डॉ. यामनी, डॉ. अदिति एवं होम्योपैथी डॉ. अर्किता, डॉ. भंवर लाल पटेल सहित स्नातोकोत्तर अध्यताओं ने चिकित्सा सेवाएं दीं।

जोधपुर शहर में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी है। शहर के प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट पर इन दिनों टूरिस्ट की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। जोधपुर शहर के होटल, रिसॉर्ट, होम-स्टे और गेस्ट हाउस लगभग फुल हो गए हैं। पर्यटन स्थलों, बाजारों और ऐतिहासिक धरोहरों पर रौनक देखते ही बन रही है।

जोधपुर शहर में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी है। शहर के प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट पर इन दिनों टूरिस्ट की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। जोधपुर शहर के होटल, रिसॉर्ट, होम-स्टे और गेस्ट हाउस लगभग फुल हो गए हैं। पर्यटन स्थलों, बाजारों और ऐतिहासिक धरोहरों पर रौनक देखते ही बन रही है।

सुमेरपुर में प्रजापति वेलफेयर संस्थान की ओर से त्रि जिला स्तरीय युवक-युवती परिचय एवं प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान समारोह आयोजित हुआ। फोटो-राष्ट्रदूत

अहमदाबाद, पुखराज प्रजापत सेवानिवृत्ति उप प्रधानाचार्य, चेलाराम प्रजापति उप प्राचार्य लियादरा, मफतलाल प्रजापति पूर्व अध्यक्ष मारु प्रजापति छात्रावास संचार, किशनाराम आहोर उपस्थित रहे और गोविंद वल्लभदास महाराज श्रीपतिधाम नंदनवनसिरोही का सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में भामाशाह बाबूराम विरमाराम जगराम अशोक भागल सेफ्टा चुनाराम गोपराम मोदरान गोगाराम लालाराम गोदाराम बिंदरडा हिमताराम सुरेश नारायणन निंबावास वीराराम लखन देलवाडा वगताराम सरथला भीनमाल सुपर मार्केट रूपाराम बगदाराम भागल सेफ्टा जोमतराम निंबावास सांवलाराम मोहनलाल सरथला खेखी देवी जुंजाणी सोपाराम बागल सेफ्टा मंजुदेवी नरता कलाराम वसनाराम सरथला रामचंद्र रोहिट का साफा माला से बहुमान किया गया। संस्थान के संयोजक ललित मेडतिया सुमेरपुर ने बताया कि इस प्रकार के

आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों को मिटाना, शिक्षा, आरोग्य की बढ़ावा देते हुए सामाजिक एकरूपता का उदाहरण स्थापित करना मूल बिंदु है। गोविंद वल्लभदास ने अपने उद्घोषन में कहा कि शिक्षा तो हर कोई प्राप्त कर रहा है लेकिन संस्कार युक्त शिक्षा मूल है जो धीरे-धीरे कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। पुराने समय में शिक्षा के लिए गुरुकुल की स्थापना होती थी, वरन वर्तमान में इन गुरुकुल का अस्तित्व समाप्त होता दिखाई दे रहा है। साथ ही समाज के युवा नशे की लत में पड़ रहे हैं। उन युवाओं एवं अभिभावकों से आग्रह किया कि नशे को संपूर्ण रूप से समाप्त करना है और संस्कार के साथ बालक बालिकाओं को अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी है। कार्यक्रम में राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी भारत सहित हजारों की संख्या में समाज बंधु शामिल हुए और अंत में भोजन प्रसादी का आयोजन हुआ। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष कैलाश मंडोरा

वरिष्ठ न्यायाधीश माहेश्वरी व पूर्व न्यायाधीश कोठारी का बांठिया ने स्वागत किया

बालोतरा, (निर्सं)। जनसेवक चम्पालाल बांठिया चेरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य गणपत बांठिया ने विश्व विख्यात नाकोडा जैन तीर्थ में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जे.के. माहेश्वरी व हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश विनीत कुमार कोठारी से भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया।

इस अवसर पर ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक एवं सेवा कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। गणपत बांठिया ने अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने के लिए पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जे.के.माहेश्वरी व हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश विनीत कुमार कोठारी तथा का नाकोंडा तीर्थ पर गुलस्टया भेंट कर सम्मानपूर्वक अभिनंदन किया। बांठिया ने न्यायाधीशों को अवगत कराया कि पूर्व विधायक स्वर्गीय चम्पालाल बांठिया के आदर्श एवं

पदचिन्हों पर चलते हुए चेरिटेबल ट्रस्ट क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजसेवा एवं जनकल्याण से जुड़े अनेक कार्य निरंतर कर रहा है।इस दौरान माहेश्वरी एवं कोठारी ने नाकोडा तीर्थ में भगवान पार्श्वनाथ एवं अधिष्ठायक भैरवदेव के दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की। उन्होंने तीर्थ की आध्यात्मिक ऊर्जा एवं शांत वातावरण की सराहना करते हुए कहा कि लगभग दस वर्ष पूर्व भी वे नाकोडा तीर्थ आए थे और आज पुनः यहां आकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। तीर्थ की व्यवस्थाएं एवं धार्मिक वातावरण मन को शांति प्रदान करने वाला है।

नाकोडा तीर्थ ट्रस्ट की ओर से न्यायाधीशों का साफा, माला एवं भगवान की तस्वीर भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंशाराम सुथार, नाकोडा ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश वडेरा, गौतम बालड सहित कई जने एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे।

कांग्रेस अरावली के संबंध में फैला रही है भ्रम : सांसद चौधरी

रेवदर, (निर्सं)। जालोर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी ने कहा कि कांग्रेस द्वारा अरावली पर्वतमाला पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया।

चौधरी ने बताया कि भाजपा सरकार द्वारा भारत एवम राजस्थान में हो रहे विकास को देखकर बोखला गई है,जिस कारण अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा न होने के कारण आये दिन अनलोगल बयान देकर आम जन में भ्रम फैला रही है।चौधरी ने बताया कि कांग्रेस की पुरानी आदत है तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए जनता में भ्रम फैलाना। उन्होंने कहा कि डोटासरा और उनकी टीम ने पहले सीएए और एसआईआर को लेकर जनता को गुमराह किया, और अब अरावली के खनन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं।

चौधरी ने स्पष्ट किया कि सिरोही जालोर में 9० प्रतिशत पहाड वन विभाग के पास है जिस पर खनन होने का सवाल

ही नहीं होता है।माननीय भूपेन्द्र जी यादव वन एवं पर्यावरण ने स्पष्ट आदेश किया है कि अरावली पहाडियो पर किसी भी तरह का खनन नहीं होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतुत्व वाली सरकार अरावली के एक भी पत्थर के नुकसान को बर्दाश्त नहीं करेगी।भाजपा और केंद्र सरकार की मंशा स्पष्ट है कि अरावली संरक्षण क्षेत्र को परिभाषित किया जाए और अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।

उन्होंने कहा कि नई परिभाषा के अनुसार अरावली के 5०० मीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र आरक्षित होंगे, जिससे खनन क्षेत्र में कमी आएगी।

चौधरी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा कि वह अवैध खनन के आरोप केवल कल्पना के आधार पर लगा रही है, जबकि भाजपा ने वन संरक्षण और वृक्षारोपण को लेकर कई अभियान चलाए है।

जोधपुर में प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट हाउसफुल, होटलों में भी नो रूम की स्थिति

जोधपुर, (कासं)। नए साल 2026 के स्वागत से पहले ही सूर्यनगरी पर्यटकों से पूरी तरह गुलजार है। देश और विदेश से बड़ी संख्या में लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जोधपुर पहुंच रहे हैं। जोधपुर शहर के होटल, रिसॉर्ट, होम-स्टे और गेस्ट हाउस लगभग फुल हो गए हैं। पर्यटन स्थलों, बाजारों और ऐतिहासिक धरोहरों पर रौनक देखते ही बन रही है।

जोधपुर शहर में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी है। शहर के प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट पर इन दिनों टूरिस्ट की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। जोधपुर शहर के होटल, रिसॉर्ट, होम-स्टे और गेस्ट हाउस लगभग फुल हो गए हैं। पर्यटन स्थलों, बाजारों और ऐतिहासिक धरोहरों पर रौनक देखते ही बन रही है।

जोधपुर शहर में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी है। शहर के प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट पर इन दिनों टूरिस्ट की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। जोधपुर शहर के होटल, रिसॉर्ट, होम-स्टे और गेस्ट हाउस लगभग फुल हो गए हैं। पर्यटन स्थलों, बाजारों और ऐतिहासिक धरोहरों पर रौनक देखते ही बन रही है।

जोधपुर शहर में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी है। शहर के प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट पर इन दिनों टूरिस्ट की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। जोधपुर शहर के होटल, रिसॉर्ट, होम-स्टे और गेस्ट हाउस लगभग फुल हो गए हैं। पर्यटन स्थलों, बाजारों और ऐतिहासिक धरोहरों पर रौनक देखते ही बन रही है।

दवाई के बदले पीया कीटनाशक, मौत हुई

जोधपुर, (कासं)। बोरानाडा स्थित मेलावास गांव में एक व्यक्ति ने दवाई के बदले कीटनाशक का सेवन कर लिया। अस्वस्थ होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बीच उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई ने पुलिस में रिपोर्ट दी।

बोरानाडा पुलिस ने बताया कि मेलावास बोरानाडा निवासी अनाराम

पुत्र भूराराम मेघवाल की तरफ से दर्ज कराई मर्ग रिपोर्ट में बताया कि उसके भाई 43 साल के कैलाश मेघवाल ने पीया से दवाई के बदले कीटनाशक का सेवन कर लिया। जिस पर उसे अस्वस्थ होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मगर बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कारंवाई के बाद परिरज के सुपुर्द किया।

जोधपुर, (कासं)। बोराणाडा स्थित मेलावास गांव में एक व्यक्ति ने दवाई के बदले कीटनाशक का सेवन कर लिया। अस्वस्थ होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बीच उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई ने पुलिस में रिपोर्ट दी।

बोराणाडा पुलिस ने बताया कि मेलावास बोराणाडा निवासी अनाराम

पुत्र भूराराम मेघवाल की तरफ से दर्ज कराई मर्ग रिपोर्ट में बताया कि उसके भाई 43 साल के कैलाश मेघवाल ने पीया से दवाई के बदले कीटनाशक का सेवन कर लिया। जिस पर उसे अस्वस्थ होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मगर बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कारंवाई के बाद परिरज के सुपुर्द किया।

